झारखण्ड विधान सभा

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१९

(सभा द्वारा यथापारित)

कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के लिए अधिकाल कार्य की सीमा ५० घंटें प्रति माह करने तथा रात्रि पाली में महिला कामगारों को कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, १९४८ को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-**

   (i) यह अधिनियम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहा जा सकेगा।

   (ii) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत होगा।

2. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६४ के उप धारा (४) के खण्ड (iv) का संशोधन :-** कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६४ के उप धारा (४) के खण्ड (iv) में विद्यमान शब्द "**तिमाही**" के स्थान पर शब्द "**माह**" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६५ के उप धारा (३) के खण्ड (iv) का संशोधन :-** कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६५ के उप धारा (३) के खण्ड (iv) में विद्यमान शब्द "**पचहतर**" के स्थान पर "**पचास**" तथा शब्द "**तिमाही**" के स्थान पर शब्द "**माह**" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. **१९४८ के केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३ की धारा ६६ के उप धारा (१) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन :-** कारखाना

अधिनियम, १९४८ (१९४८ का केन्द्रीय अधिनियम सं०-६३) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा ६६ के उप धारा (१) के खण्ड (b) में विद्यमान

"परंतुक राज्य सरकार गज़ट अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में किसी कारखाने अथवा समूह अथवा वर्ग के कारखाने के लिए खण्ड (b) में दिए गए अवधि में परिवर्तन कर सकता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन महिलाओं के नियोजन को रात्रि १०:०० बजे से प्रातः ०५:०० बजे तक की अवधि हेतु प्राधिकृत नहीं करेगा ।"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"परन्तु पर्याप्त सुरक्षा, संरक्षा एवं बचाव के विहित उपायों को किये जाने पर किसी कारखाने में महिला कामगार को संध्या ०७:०० बजे से प्रातः ०६:०० बजे तक की अवधि में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है ।"

यह विधेयक कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 34—50—5-8-2019